



## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर - 452007

Phone:- 0731-2432822, Fax :- 0731-2536600

Email :- lcmpenf@mp.gov.in Website:- <http://labour.mp.gov.in>

क्रमांक - 1/17/नवम/प्रवर्तन/2020/ 40166-218,  
प्रति.

इन्दौर, दिनांक 28-10-2020


- (1) समस्त सहायक श्रमायुक्त. म.प्र.।
- (2) समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक. मध्यप्रदेश।

विषय:- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एक दिवस में प्रदाय किये जाने बाबद्।

विषयांतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित नियम 15 में है।

उक्त नियम 15 के तहत अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण को ऑन-लाइन किये जाने की व्यवस्था श्रम सेवा पोर्टल पर है। अतः निर्देशित किया जाता है कि श्रम सेवा पोर्टल पर नवीनीकरण हेतु ऑन-लाइन आवेदन के पूर्ण होने पर एवं निर्धारित शुल्क जमा होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एक कार्य दिवस में अनिवार्य किया जावे।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

  
28/10/2020  
(आशुतोष अवस्थी)


श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक - 1/17/नवम/प्रवर्तन/2020/ 40219-86,  
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 28-10-2020

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रमुख सचिव, सुक्ष्म, लघु और मध्यम एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) समस्त संभागीय, आयुक्त/जिला कलेक्टर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त, म.प्र. शासन, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (7) संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) आई.टी., शाखा प्रभारी, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
28/10/2020  
श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर